न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील

संख्याः—251/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00251)

1. श्रीमती संगीता पत्नी श्री सज्जनराज, जाति जैन, निवासी राहुल स्टोर, टेम्पो स्टेण्ड, ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमती कामिनी भाटिया पत्नी श्री गुलाब एच, भाटिया, जाति सिन्धी, निवासी मकान नम्बर 94ए, मधुबन कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री लाला (फौत)
   1/1 श्रीमती हेमा देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह
   1/2 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह
   1/3 श्री गुमान सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह
   समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
   1/4 श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, जाति रावत
   निवासी पुलिस लाईन चौराहा, वार्ड संख्या 50, अजमेर।
   1/5 श्रीमती सुनीता रावत पुत्री स्व0 श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति रावत, निवासी मौहल्ला कडाली, श्रीनगर रोड़, ग्राम बडल्या, तहसील व जिला अजमेर।
   1/6 श्रीमती उषा रावत पुत्री स्व0 श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री त्रिलोक सिंह, जाति रावत
   1/7 श्रीमती पूजा रावत पुत्री स्व0 श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री गोरधन सिंह रावत, निवासीगण शिव मन्दिर के पास, ग्राम भूणाबाय, तहसील व जिला अजमेर।
   1/8 श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेम सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह, जाति रावत, निवासी बगलो की ढाणी, ग्राम मोहमी, तहसील व जिला अजमेर।
2. श्री गोपाल पुत्र स्व0 श्री हरजी
3. श्री मोहन पुत्र स्व0 श्री हरजी
4. श्रीमती हीरी पुत्री स्व0 श्री हरजी
5. श्रीमती बरजी पुत्री स्व0 श्री हरजी
6. श्रीमी रूकमा पुत्री स्व0 श्री हरजी
   समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।

असल रेस्पोडेंटस

7. श्री उगम सिंह पुत्र स्व0 श्री रतना (फौत)
   7/1 श्री रामकरण पुत्र श्री उगम सिंह
   7/2 श्री भंवर सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
   7/3 श्री खेम सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
8. श्री बीरम सिंह पुत्र स्व0 श्री रतना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

9. श्रीमती प्रेम पुत्र स्व0 श्री रतना
10. श्री गोम सिंह पुत्र स्व0 श्री हजारी
11. श्री भोम सिंह पुत्र स्व0 श्री हजारी
12. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री हजारी
13. श्रीमती फूली पुत्री स्व0 श्री हजारी
14. श्री जगन्नाथ पुत्र स्व0 श्री कामड
15. श्रीमती नन्दू पुत्री स्व0 श्री कामड
16. श्रीमती लादी पत्नी स्व0 श्री हालू
17. श्री हीरालाल पुत्र स्व0 श्री हालू
18. श्री रामसिंह पुत्र स्व0 री हालू **(फौत)**
18/1 श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री रामसिंह
18/2 श्री अजय सिंह पुत्र स्व0 श्री रामसिंह
समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
18/3 श्रीमती पूजा पुत्री स्व0 श्री रामसिंह पत्नी श्री देवीसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम मलाणी बडल्या, तहसील व जिला अजमेर।
18/4 श्रीमती सोनू पुत्री स्व0 श्री रामसिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर।
18/5 श्रीमती मोनू पुत्र स्व0 श्री रामुसिंह पत्नी श्री महावीर सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बहारा, तहसील व जिला अजमेर।
19. श्रीमती गीता पुत्री स्व0 श्री हालू जाति रावत, निवासी ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार , अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2016 उपखण्ड अधिकारी अजमेर, राजस्व वाद संख्या 28/2011

उपस्थितः–
1. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पुष्पेन्द्र रावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 20
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/8, 7/1 से 19

निर्णय

दिनांकः–05.01.2023

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2011 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 द्वारा एक राजस्व वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति हेतु मय प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष पेश किया। वाद एवं प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिए सम्मन/नोटिस तलब किए जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार कर विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया तथा खसरा नम्बर 1843 रकबा 01–17–10 बीघा भूमि अप्रार्थी सखंय 15 श्रीमती संगीता एवं श्रीमती कामिनी भाटिया को विक्रय कर खातेदारी अधिकार एंव आधिपत्य संभलाए जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। जिस प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपाकर अपील संख्या 18/2015 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.01.2015 द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई। जिसकी प्रो रेस्पोडेंट को जानकारी होने पर न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने पर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.03.2015 द्वारा दोनों पक्षो की सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर दो माह में प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए जाने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी अजमेर को प्रेषित किए गए। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं किए जाने पर प्रो0 रेस्पोडेंट की ओर से धारा 151 सीपीसी के तहत दिनांक 12.05.2015 को प्रस्तुत कर न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रकरण पर सुनवाई कर निर्णित किए जाने का निवेदन किया गया। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा न्यायालय के निर्देशों की पालना किए बिना तथा अपीलांट एवं प्रो0 रेस्पोडेंट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत की जाकर अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 24.06.2016 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित किए जाने की आज्ञा पारित कर दी। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थीया को मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 28/2011 के तहत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2012 में वर्णित कथनों के उपरांत भी रेस्पोडेट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा पक्षकार संयोजित नहीं किया गया तथा ना ही उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा तथ्यों की जानकारी होने के उपरांत भी पक्षकार संयोजित कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। जबकि प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1843 रकबा 01–17–10 का 1/2 हिस्सा भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2011 द्वारा क्रय की जाकर स्वामित्व एवं कब्जा काश्त प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर जरिए नामांतकरण संख्या 476 दिनांक 15.04.2011 को प्रार्थीया के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर खातेदारी का इंद्राज हो चुका है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समुख प्रकरण दिनांक 02.02.2012 को प्रस्तुत किए जाने की तिथि को राजस्व रिकार्ड में इंद्राज होने के उपरांत भी आवश्यक पक्षकार होते हुए पक्षकार संयोजित कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थीया का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रत्यक्ष रूप से खातेदारी हक अधिकार व आधिपत्य निहित होने के कारण दिनांक 24.06.2016 से सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है। इस कारण प्रार्थीया को आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया को मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 28/2011 के तहत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2012 में वर्णित कथनों के उपरांत भी रेस्पोडेट संख्या 01 लगायत 06 द्वारा पक्षकार संयोजित नहीं किया गया तथा ना ही उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा तथ्यों की जानकारी होने के उपरांत भी पक्षकार संयोजित कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। इस कारण प्रार्थीया को दिनांक 24.06.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2019 को हुई जब रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2016 के आधार पर प्रार्थीया के द्वारा बरसात होने पर अपने खेत में कृषि कार्य प्रारम्भ किया तो पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर के समक्ष आदेश की प्रति के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तत्पश्चात प्रार्थीया द्वारा प्रकरण की जानकारी करते हुए संबंधित न्यायालय से प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई तथा विधिक राय लेकर फीस एवं खर्चे की व्यवस्था करते हुए अविलम्ब यह अपील जानकारी की तिथि से अंदर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीया अपने पूर्वाधिकारियों के फुट स्टेप पर पिछले 50 वर्षों से बहैसियत खातेदार, काबिज काश्तकार चली आ रही है। ऐसी स्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया जाता तो प्रार्थीया के विधिक हक अधिकार व आधिपत्य का हनन होगा। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर में नियत किए जाने बाबत पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता को किसी प्रकार से कोई सूचना पत्र प्रेषित नहीं कर आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2016 के तहत उभय पक्ष का उपस्थित होना तथा उभय पक्ष की बहस सुनी जाना उल्लेखित किया गया है जबकि इस संबंध में ना तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित यिका गया तथा नह ही उभय पक्ष उपस्थित रहा है ना ही किसी प्रकार की बहस हुई है तथा ना ही उपस्थिति के संबंध पत्रावली पर कोई हस्ताक्षर एवं साक्ष्य विद्यमान करती है। इसके बावजूद आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित कर दिया। लोक अदालत के तहत उन्ही पक्षकारान के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना संभव है जिनके संबंध में पक्षकारान सहमत हो अथवा किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत किया गया हों परंतु वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होने के उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा लोक अदालत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित कर दिया। प्रो0 रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 26.04.2012 को ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के हक अधिकार एवं आधिपत्य को अस्वीकार किया गया है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई उल्लेख नहीं किया तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में किसी प्राकर का कोई विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित कर दिया। प्रो0 रेस्पोडेंट/अप्रार्थी संख्या 01 से 07 द्वारा दिनांक 26.04.2012 को प्रस्तुत विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6,11 एवं 13 के तहत वर्किंग खसरा नम्बर 1843 रकबा 01–17–10 बीघा भूमि वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही खातेदारी अधिकार एव कब्जा काश्त अपीलांट श्रीमती कामिनी भाटिया में निहित हो चुके है, बाबत स्पष्ट उल्लेख किया गया था इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी अजमेर विधिवत जानकारी के उपरांत भी अपीलांट को पक्षकार संयोजित किए बिना तथा सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध आवश्यक तत्वों का विश्लेषण किए ही आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित कर दिया। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट स्व0 श्री लाला पुत्र नाथा के ना तो विधिक वारिसान है तथा ना ही उन्हें मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की कोई लोकस स्टैण्डाई निहित नहीं करती है। इसके बावजूद बिना किसी हक अधिकार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधि, तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना एवं विश्लेषण किए बिना ही एकपक्षीय आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2016 पारित किए जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.01.2015 एवं 10.03.2015 के तहत पारित आदेशों में दिए गए निर्देशों की किसी प्रकार से कोई पालना नहीं कर कारण रहित नोन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 से 6 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा 96 जा.दी. में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1843 रकबा 1–17–10 बीघा का 1/2 हिस्सा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2011 को क्रय की है। दिनांक 17.03.2011 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित करने हेतु चाराजोही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं गई, जबकि उनको अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित होना चाहिए था क्योंकि विवादित आराजी को प्रार्थी/अपीलांट ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय विचाराधीन रहते हुए क्रय की किया है इसलिए प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी/अपीलांट पीड़ित पक्षकार व हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 ने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर में अप्रार्थी संख्या के पिता स्व0 लाला वल्द नाथा एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के दादा स्व0 पन्ना वल्द काना की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है जो ग्राम माखुपुरा की अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2022 लगायत 2025 के खाता संख्या 322 खसरा नम्बर 1345 रकबा 02–13–10 बीघा भूमि लाला वल्द लाखा व पन्ना वल्द काना कौम रावत सा0देह के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2022 लगायत 2025 संलग्न है। साबिक खसरा नम्बर 1345 रकबा 02–13–10 बीघा भूमि के भू प्रबंध विभग ने नवीन खसरा नम्बर 1843 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी खसरा नम्बर 1855 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 1904 रकबा 1 बिस्वा बनाए, मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। अप्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि को बिना रहन बेचान मुंतकिल किए एवं बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भू–प्रबंध विभाग एवं राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1345 के नए खसरा नम्बर 1843 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी को गैरकानूनी, विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थी के पूर्वज रतना, हजारी पिसरान माटू 1/2 हिस्सा, कामड साकिन देह के नाम वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 368 में दर्ज कर दी। जबकि भू–प्रबंध विभाग व राजस्व कर्मचारियों को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्ववर्ति इंद्राज को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि को भू प्रबंध विभाग ने गैरकानूनी रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी एवं उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज की आड में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने भूमि की शक्ल पिरवर्तन करने रहन बेचान व मुंतकिल करने पर सख्त आमादा है। जिसमें यदि वे सफल हो गए तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है ।

11. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि प्रार्थिया ने विवादित भूमि खसरा नंबर 1843 रकबा 1–17–10 बीघा का 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत पत्रदिनांक 17.03.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 476 दिनांक 15.04.2011 को प्रार्थिया के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में खातेदारी का इंद्राज हो चुका है । जबकि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 02.02.2012 को प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार वाद दायरी की दिनांक को प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड के खातेदार काश्तकार होने से वाद में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थे जिन्हें सुना जाना आवश्यक था । इसके बावजूद वादीगण/रेस्पो0 ने प्रार्थीगण/अपीलांटस को जो कि विवादित आराजियात के केता होकर आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वाद में पक्षकार संयोजित नहीं कर

Scanned with CamScanner

एकतरफा में स्थगन आदेश प्राप्त किया है । इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से प्रार्थीगण/अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रतीत होता है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटस को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। चूंकि प्रार्थीगण/अपीलांटस विवादित आराजी के केता होकर राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है किन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादीगण ने अपीलांटस को पक्षकार संयोजित नहीं किया जिससे अपीलाधीन आदेश की निर्णय दिनांक को अपीलांटस को जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किए है वे उचित एवं सद्भाविक है । अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

13. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 दिनांक 24.06.2016 को स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.1.2015 को कन्फर्म कर विवादित आराजियात बाबत् उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस/सूचना नहीं दी गई है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांटस के विकेता लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा हो । इसके अतिरिक्त लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण रखे जा सकते है जिनमें पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया हो और वे सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है । हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं जिससे यह सिद्ध हो कि पक्षकारान के मध्य कोई समझौता हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा खसरा नंबर 1843 की भूमि में निहित अपना हिस्सा 1/2 जरिये पंजीकृत विकय पत्र श्रीमती कामिनी भाटिया पत्नि गुलाब एच. भाटिया, जाति सिंधी, निवासी ए–94 मधुबन कॉलोनी, नॉका मदार, अजमेर को विकय कर भौतिक कब्जा संभला दिया है तथा उक्त विकय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 476 दिनांक 18.04.2011 द्वारा केता के नाम खातेदारी का अंकन भी किया जा चुका है । प्रतिवादीगण के जवाबदावे में उल्लेखित उक्त कथनों से स्पष्ट है कि वाद एवं प्रार्थना पत्र दायरी दिनांक को अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर वाद एवं प्रार्थना पत्र में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थे जिन्हें सुना जाना आवश्यक था । उक्त समस्त तथ्य वादीगण एवं विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकट होने के बावजूद वादीगण ने वर्तमान अपीलांटस को वाद में

Scanned with CamScanner

पक्षकार संयोजित नहीं कर एकतरफा में अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है । यही नहीं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश मात्र 6–7 लाईनों में सरसरी तौर पर पारित किया गया है जबकि विचारण न्यायालय को धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 बाबत् आवश्यक घटकों यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं बाबत् विस्तृत विवेचन, विश्लेषण करना निर्णय पारित करना चाहिये था । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

14. परिणामत् अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित दिये जाते है कि वे वाद एवं प्रार्थना पत्र में अपीलांटस को पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशन के क्रम में शीघ्रतिशीघ्र निर्णित करे।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner